# न्यायालय उपखण्ड अधिकारीभीण्डर, जिला – उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 30

प्रकरण संख्या 15 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री किशनलाल खटीक      बनाम      तहसीलदार कानोड़

## निर्णय

दिनांक : 14.05.2022

1. प्रार्थी श्री किशनलाल खटीक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लालपुरा, पटवार मण्डल लालपुरा, तहसील कानोड़ में प्रार्थी के नाम पर क्रय की हुई भूमि संवत् 2070–73 की जमाबन्दी खाता संख्या 54 पर नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 24.08.2019 से जो दाखला लगा हुआ है उसमें प्रार्थी की जाती खटीक दर्ज है। उक्त ग्राम लालपुरा पटवार मण्डल लालपुरा तहसील कानोड़ की नये भूमि बन्दोस्त से वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 18 खसरा संख्या 25 रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि में किशनलाल पिता खुमाण हिस्सा 43 / 68 जाति सालवी दर्ज कर है जो गलत दर्ज कर दी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नये भूमि बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी में जाति खटीक दर्ज है जबकि वर्तमान नई जमाबन्दी में गलती से सालवी दर्ज कर दिया गया है जिसे पुनः जाति खटीक दर्ज कराने का आदेश फरमावे।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार कानोड़ को जरिये सूचना पत्र तामील किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार कानोड़ द्वारा जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार प्रार्थी की क्रय की गई भूमि राजस्व ग्राम लालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2070–73 तक खाता संख्या 54 पर किशनलाल पिता खुमाण जाति खटीक दर्ज है। जबकी नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी रेकर्ड संवत् 2078–81 में खाता संख्या 18 पर प्रार्थी की जाती 'खटीक' के बजाय 'सालवी' दर्ज है। अतः तहसीलदार कानोड़ द्वारा मय अनुशंषा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी की जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड में वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2078–81 के खाता संख्या 18 पर सालवी से खटीक किया जाना उचित है।

3. हमने पत्रावली का अध्ययन किया सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकरन करने प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने के बाद प्रार्थी के नाम दर्ज मौजा लालपुरा, पटवार हल्का लालपुरा तहसील कानोड़ जमाबन्दी संवत् 2070–73 तक खाता संख्या 54 पर किशनलाल पिता खुमाण जाति खटीक दर्ज है। जबकी नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी रेकर्ड संवत् 2078–81 में खाता संख्या 18 पर किशनलाल पिता खुमाण जाति सालवी दर्ज है। जबकि प्रार्थी कि वास्तविक जाति खटीक है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजो में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से नवीन सैटलमेन्ट के बाद खाता संख्या 18 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, भूमि में प्रार्थी का नाम किशनलाल पिता खुमाण जाति सालवी लिखा गया है। अतः मौजा लालपुरा, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 18 रकबा 0.6800 हैक्टैयर भूमि में प्रार्थी की जाति **'सालवी'** के बजाय **'खटीक'** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मौजा लालपुरा, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 18 रकबा 0.6800 हैक्टैयर भूमि में दर्ज किशनलाल पिता खुमाण जाति सालवी हिस्सा 43/68 के स्थान पर प्रार्थी का नाम किशनलाल पिता खुमाण जाति खटीक किया जाता है। तहसीलदार कानोड़ राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

5. निर्णय खुले इजलास मजमें आम राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

6. पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

14/5/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh S
Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:38 IS
Reason: SelfAttested